न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 43/2015 शस्त्र अधिनियम
CCMS No. 2015/00114

अनवानी :— लखासिंह पुत्र श्री बन्तासिंह जाति जटसिक्ख निवासी 82 आर.बी. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

———अपीलान्ट

—बनाम—

राजस्थान स्टेट जरिये जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री अनिल सिंह खींचड़ अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 27.11.2024

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 18.09.2015, जिसके द्वारा अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता श्री बन्तासिंह पुत्र श्री चनन सिह के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 186/71 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर में दर्ज है, जिस पर 12 बोर एस.बी.बी.एल. गन दर्ज है। अपीलांट ने अपने पिता के उक्त शस्त्र लाईसेंस को वृद्ध प्रकरण के अंतर्गत अपने नाम जारी करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 03.05.2013 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1788 दिनांक 07.06.2013 को प्रेषित की है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2015 पारित कर अपीलांट के आवेदन पत्र दिनांक 03.05.2013 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी। अपील को मियाद में शुमार किया जाता है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के श्री बन्तासिंह पुत्र श्री चनन सिंह के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 186 / रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर में दर्ज है, जिस पर 12 बोर एस.बी.बी.एल. गन दर्ज है। अपीलांट के पिता के वृद्ध होने के कारण शस्त्र सार–संभाल में असमर्थ होने से अपीलांट ने दिनांक 03.05.2013 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अपीलांट के नाम दर्ज करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलांट के पिता बन्ता सिंह व उनके सभी वारिसानों ने अपीलाधीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र की एवज में अपीलांट के नाम नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये सहमति व्यक्त की है। उक्त आवेदन पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को बिना सुनवाई के खारिज कर दिया। अपीलांट ने उक्त आवेदन पत्र अपनी स्वयं की एवं कृषि उपज की सुरक्षा के लिए किया था। अपीलांट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण या जांच विचाराधीन नही हैं और ना ही अपीलांट हिस्ट्रीशीटर है, जिसकी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2015 निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के आवेदन पत्र को जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 07.06.2013 व नियमानुसार समस्त शर्तें पूरी न होने के आधार पर खारिज कर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने अपीलांट के विरूद्ध विभिन्न प्रकरणों में जुर्माने के दण्ड से दण्डित होने के कारण अपनी रिपोर्ट में अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना अनुचित बतलाया है। ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2015 उचित एवं सही है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2015 पारित करते हुए अपीलांट के वृद्ध प्रकरण में अपने पिता के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र की एवज में अपीलांट के नाम से नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर के विपरीत प्रतिवेदन व नियमानुसार शर्तें पूरी न होने के कारण अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जो उचित है। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में

अपीलांट के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमें दर्ज होना व दण्डित होना अवगत कराया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पिता के नाम से जारी उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र की एवज में अपीलांट के नाम से नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। हम अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2015 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2015 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

7. तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/11/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर